

न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)



वाद सं०- एम०-24/18

धारा-107 द०प्र०सं०

सहदेव महतो .....प्रथम पक्ष

बनाम

महेन्द्र पाण्डे .....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश
18/01/2019	<p>प्रस्तुत वाद राहे ओ०पी० के अप्राथमिकी संख्या-06/18 दिनांक-22/02/2018 द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा-107 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई। यह विवाद दोनों पक्षों में बाता-बाती से शुरू हुई, जिसका कारण पूर्व से जारी भूमि विवाद है।</p> <p>प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें एक दूसरे पर शांति भंग करने से संबंधित आरोप लगाया गया है।</p> <p><u>प्रथम पक्ष पार्टी गवाह:-</u> सहदेव महतो, पिता-स्व० तीलक महतो ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि झगड़ा का कारण जमीन विवाद है। विवादित जमीन को मैं द्वितीय पक्ष से खरीदा हूँ। जिस पर 1974 से दखल कब्जा है। द्वितीय पक्ष मुझसे रास्ते में झगड़ा किया। बोल रहा था कि रास्ते में चलोगे तो मार देंगे और विवादित जमीन में उतरोगे तो जान से मार देंगे। 107 केस करने के बाद से अभी द्वितीय पक्ष से लड़ाई-झगड़ा नहीं हुआ है। मेरा वर्तमान में द्वितीय पक्ष से कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं हुआ है।</p> <p><u>द्वितीय पक्ष स्वतंत्र गवाह:-</u> राखो उरॉव, पिता-स्व० दिलेश्वर उरांव ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि द्वितीय पक्ष विवादित जमीन को लेकर कभी झगड़ा नहीं किए है। जमीन को लेकर झगड़ा प्रथम पक्ष करता है।</p> <p><u>द्वितीय पक्ष के पार्टी गवाह:-</u> महेन्द्र पाण्डे पिता-स्व० दिगम्बर पाण्डे ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन खाता सं०-139, प्लॉट नं०-23, 24 रकबा-50 डी० एवं 40 डी० है। इसी जमीन से हमलोग तीन पीढ़ी से खेती करते आ रहे हैं। विवादित जमीन में प्रथम पक्ष आएगा तो झगड़ा होगा।</p> <p>वाद में प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन, उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा, गवाही एवं विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि यह विवाद प्रश्नगत भूमि पर परस्पर दावेदारी को लेकर उत्पन्न हुआ है। जो कि सक्षम न्यायालय का मामला है। वर्तमान में शांति-व्यवस्था कायम है। उभय पक्ष को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में भी शांति व्यवस्था बनाये रखे। वाद में अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> 18/01/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)</p> <p> 18/01/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)</p>